

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरपुर (राज०)
दिनांक २०/१२/२०२३ वि.सं. गु-५.१९/२०२३
पत्रावली नम्बर १५७२/२०२३

०६/१२/२०२३

पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई।
बाद आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। अतः बाद अदम हाजरी/अदम पैरवी
में स्थापित किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय
तकनीक नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरपुर तिजारा राज०

पत्रावली नम्बर १५७२/२०२३
दिनांक २०/१२/२०२३
वि.सं. गु-५.१९/२०२३
अधिवक्ता
वादी/वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित
अतः बाद अदम हाजरी/अदम पैरवी
में स्थापित किया जाकर, पत्रावली बाद निर्णय
तकनीक नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो

